—: न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद जिला अजमेर :—

पीठासीन अधिकारी :— देवीलाल यादव (आर.ए.एस.)
प्रकरण संख्या :— 214/2025

उनवान

1. हीरादेवी पत्नि रामचन्द्र (नोट प्रेस)
2. रेखादेवी,
3. नान्ची पुत्री रामचन्द्र,
4. भोलूराम पुत्र रामचन्द्र समस्त जातिगण बागरिया निवासी देराठू तहसील नसीराबाद हाल निवासी कचन नगर अजमेर

—— वादीगण :— जरियें अधिवक्ता श्री हीरालाल माली

बनाम

1. रामचन्द्र,
2. जगदीश,
3. प्रभू पुत्र हजारी समस्त जातिगण बागरिया निवासी देराठू तहसील नसीराबाद,
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसील नसीराबाद

——प्रतिवादीगण :— 1 से 3 जरियें अधिवक्ता श्री सुखदेव चौधरी
4 जरियें राज. पैरोकार

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53, 88 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

—: निर्णय :— दिनांक :— 7.11.25

अधिवक्ता वादीगण ने उक्त वाद पेश कर निवेदन किया कि ग्राम देराठू के हाल खसरा नम्बर 4785 रकबा 0.36 व 4786 रकबा 1.35 की आराजी वादीगण की पुश्तैनी खातेदारी की है। आराजी मुतनाजा प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज है। वादीगण का भी उक्त आराजी पर हक व अधिकार निहित है। प्रतिवादी संख्या 1 उक्त आराजी को बैचान करने पर आमादा है। अतः आराजी मुतनाजा का खातेदार हिस्से अनुसार वादीगण को घोषित किया जावे। आराजी मुतनाजा का विभाजन किया जावे। प्रतिवादीगण को जरियें स्थायी निषेधाज्ञा पाबंद किया जावे।

वाद पत्र दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरियें नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 से 3 ने जवाब नही पेश करना जाहिर किया। राज. पैरोकार ने जवाब नही पेश करना जाहिर किया।

प्रकरण विचारण के दौराने वादी संख्या 1 ने स्वयं की हद तक वाद नोट प्रेस किया।

अधिवक्ता वादीगण व प्रतिवादीगण ने प्रकरण में साक्ष्य नही पेश करना जाहिर किया। बहस उभयपक्ष सुनी गयी।

पत्रावली का अवलोकन किया। विद्वान अधिवक्तागण व राज. पैरोकार की बहस पर मनन

Signature Not Verified
Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.11.14 10:09:47 IST
Reason: SelfAttested

—2

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद (अजमेर)

किया। ग्राम ग्राम देराठू के हाल खसरा नम्बर 4785 रकबा 0.36 व 4786 रकबा 1.35 की आराजी की आराजी हाल राजस्व अभिलेख में प्रतिवादी संख्या 1 से 3 के नाम सहखातेदारी दर्ज है। वादीगण स्वयं को प्रतिवादी संख्या 1 के वारिस है। प्रतिवादी संख्या 1 जीवित है। वादीगण का कथन है कि आराजी मुतनाजा पुश्तैनी है। किन्तु वादीगण के द्वारा आराजी मुतनाजा पुश्तैनी होनने के कोई प्रमाण, साक्ष्य व दस्तावेज वादीगण द्वारा पेश नही किये है। वादीगण द्वारा मात्र आराजी मुतनाजा का हाल राजस्व अभिलेख ही पेश किया है, जिससे आराजी मुतनाजा पुश्तैनी सिद्व नही होती है। वादीगण को अपना वाद साक्ष्य व दस्तावेज से सिद्व करना था किन्तु उनके द्वारा कोई साक्ष्य व दस्तावेज पेश नही किये है। वादग्रसत आराजी पुश्तैनी सिद्व नही होने के कारण वादीगण आराजी मुतनाजा पर प्रतिवादी संख्या 1 के जीवित रहते खातेदारी प्राप्त करने के अधिकारी नही है। वाद विचारण के दौरान वादी संख्या 1 द्वारा अपनी हद तक वाद नोट प्रेस किया जा चुका है।

उक्तानुसार ग्राम देराठू के हाल खसरा नम्बर 4785 रकबा 0.36 व 4786 रकबा 1.35 की आराजी पर वादी संख्या 2 से 4 का वाद **"खारिज"** किया जाता है। पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करे। इस आशय की पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

Signature Not Verified

Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.11.14 10:09:47 IST
Reason: SelfAttested

डिक्री व मुकदमें इब्ताई

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद

उनवान

हीरा देवी बनाम रामचन्द्र

दावा बाबत :– 53, 88, 188 राज. का. अधि0 1955

राजस्व मुकदमा नम्बर – 134/2023
पेश करने की दिनांक – 22.08.2023

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिनाल कतई रूबरू देवीलाल यादव (आर. ए. एस)–व हाजिर अभिभाषक हीरालाल माली मुद्दई सुखदेव चौधरी व राज0 पैरोकार अभिभाषक मिनजामिन मुदायला पेश हो कर दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि :–

ग्राम देराठू के हाल खसरा नम्बर 4785 रकबा 0.36 व 4786 रकबा 1.35 की आराजी पर वादी संख्या 2 से 4 का वाद **"खारिज"** किया जाता है। पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करे।

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

खर्चा इस मुकदमें में मय सूद व शरह तक———— को सालाना आज की तारीख से यानि वसूली तक को अदा करे।

बअखत दस्तखत व मोहर अदालत के आज दिनांक 7 माह 11 सन् **2025** को जारी की गयी।

मुददई	मुदायला
स्टाम्प अरजी दावा	स्टाम्प वकालतनामा
स्टाम्प वकालतनामा	स्टाम्प अरजी
स्टाम्प वजह सबूत	मेहनताना वकील
मेहनताना वकील	खर्चा गवाहान
फीस कमिश्नर	फीस कमिश्नर
खर्चा गवाहान	बाबत् इजराय हुक्मनामा
बाबत् इजराय हुक्मनामा	मुतफरिक
मुतफरिक	

मिजान

Signature Not Verified

Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.11.14 10:09:47 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद